

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/2018/

दिनांक:

आदेश

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोंही के अधीन कार्यरत निम्न नर्स द्वितीय परिवीक्षाधीन का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम नर्स द्वितीय	अवकाश अवधि
1.	डूंगाराम	दिनांक 17.02.2016 से दिनांक 20.03.2016 तक = 33 दिवस
2.	पूजा शर्मा	दिनांक 16.11.2016 से दिनांक 25.11.2016 तक = 10 दिवस
3.	जयेश धवल	दिनांक 19.02.2016 से दिनांक 17.03.2016 तक = 28 दिवस
4.	सुनिता कटारा	दिनांक 19.03.2016 से दिनांक 21.03.2016 तक = 03 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक का 3 दिवस) की सीमा तक परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

21

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/ ~~राजस्थान~~ /2018/1476

दिनांक: 13.11.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोंही।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।